[2014] 14 एस सी आर 1610

मनमोहन शर्मा

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4294/2014)

01 अप्रैल 2014

[न्यायाधिपति टी. एस. ठाकुर और न्यायाधिपति सी. नागप्पन]

सेवा कानून;

नियुक्ति/चयन-बोनस अंकों का पुरस्कार नियुक्ति के लिए अधिवास का आधार-के रूप में आयोजित किया गया था - कैलाश चंद शर्मा के मामले में असंवैधानिक -संभावित प्रभाव उन लोगों को छोड़कर जो उस मामले में पक्षकार थे कैलाश चंद शर्मा का मामला के अनुपालन में की गई नियुक्तियाँ- बाद में कुछ नियुक्तियों की सेवाओं को धोखाधड़ी और कैलाश चंद शर्मा के मामले के अनुरूप नहीं पाते हुए समाप्त कर दिया गया - समाप्ति आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया -आयोजितः वे अपीलार्थी जिन्होंने न्यायालय का रुख नहीं किया था कैलाश चंद शर्मा के मामले में फैसले से पहले, कैलाश चंद शर्मा के मामले का लाभ पाने का हकदार नहीं थे।- हालाँकि, मामले के तथ्यों को

ध्यान में रखते हुए, उन्हें अगली चयन प्रक्रिया में विचार करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट की एक बार की रियायत प्रदान किए जाते हैं।

कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2002) 6 एससीसी 562 के आदेश के अनुपालन में, जिसमें यह माना गया था कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिवास के आधार पर बोनस अंक देने की अनुमति नहीं थी, नियुक्तियाँ की गईं। बाद में, कई व्यक्तियों की सेवाएं इस आधार पर समाप्त कर दी गईं कि उन्हें धोखाधड़ी और अनियमित तरीके से नियुक्त किया गया था क्योंकि वे कैलाश चंद शर्मा के मामले की पुष्टि में नहीं थे।

समाप्ति आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएँ उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गईं। इसलिए वर्तमान अपील करता है।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुये अभिनिर्धारित किया:

1.1. कैलाश चंद शर्मा के मामले में इस न्यायालय ने संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को लागू किया, जिसका अर्थ है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून केवल भविष्य के चयन और नियुक्तियों पर लागू होगा, हालांकि संभावित अधिनिर्णय ने 18 नवंबर, 1999 से पहले की गई नियुक्तियों को अछूता छोड़ दिया, जो रिट याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया था। हाईकोर्ट को 18 नवंबर, 1999 को या उसके बाद नियुक्त उम्मीदवारों या सर्कुलर के तहत ऐसे नियुक्त/चयनित उम्मीदवारों को बोनस अंकों का लाभ दिए बिना चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों पर नए सिरे से विचार करना

था। रिट-याचिकाकर्ताओं के इस तरह के विचार के बाद यदि उन्हें 18 नवंबर, 1999 के बाद नियुक्त किए गए लोगों की तुलना में योग्यता में श्रेष्ठ पाया गया, तो उन्हें हटाकर, यदि आवश्यक हो, नियुक्तियां दी जानी थीं।

[पैरा16][1625-ई-जी]

1.2 वर्तमान अपीलों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है श्रेणियां, अर्थात्, श्रेणी । जिसमें रिट शामिल है याचिकाएँ जो 18 नवंबर, 1999 के बाद दायर की गईं थीं 30 जुलाई, 2002 से पहले, जैसा कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर 2000 की रिट याचिका संख्या 542 में स्थिति थी और इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी और श्रेणी ॥ में 30 जुलाई, 2002 के बाद दायर की गई रिट याचिकाएं शामिल थीं। कैलाश चंद शर्मा के फैसले का लाभ मामले को किसी भी श्रेणी तक नहीं बढ़ाया जा सकता। [पैरा 19][1627-सी-ई]

1.3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं को राहत का हकदार नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उन्होंने प्रार्थना की थी, उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए। हालाँकि अपीलकर्ताओं को नियुक्त किया गया था और उन्होंने लगभग एक दशक तक सेवा की है, लेकिन आरोप हैं कि ऐसी नियुक्तियाँ तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके धोखाधड़ी से प्राप्त की गईं। आपराधिक मामले पहले ही दर्ज हो चुके हैं। अपीलकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गया है। (पैरा 27] (1631-डी-ई)

1.4. चूंकि अपीलकर्ताओं को उनके जीवन के इस चरण में रोजगार के किसी भी वैकल्पिक रास्ते के बिना छोड़ दिया जाएगा, जो कि सक्षम न्यायालय द्वारा दर्ज किए जा सकने वाले किसी भी निष्कर्ष के अधीन होगा, जहां तक अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त नियुक्तियों की कथित धोखाधड़ी की प्रकृति का संबंध है, इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अपीलकर्ताओं को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे और अब बर्खास्त कर दिए गए हैं तो उन्हें ऊपरी आयु सीमा में एक बार की छूट दी जा सकती है और शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा के संबंध में नियमों में छूट देकर अगली चयन प्रक्रिया में विचार किया जा सकता है। यदि उन्हें दोषी पाया जाता है और फर्जी नियुक्ति प्राप्त करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो आयु में छूट के बाद उन्हें दी गई नई नियुक्ति, यदि कोई हो, समाप्त कर दी जाएगी। (पैरा 27](1631-जी·एच; 1632-ए·सी]

2. जहां तक सिविल अपील में अपीलकर्ता की बात है 2012 की एसएलपी संख्या 31818 का संबंध है, उनका निष्कासन अनुचित था। उनके द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा एक अन्य के साथ 26 फरवरी 2001 के एक सामान्य आदेश द्वारा मामला। उस आदेश को राज्य द्वारा रिट अपील में चुनौती दी गई थी, लेकिन केवल बैच में शामिल अन्य रिट याचिकाकर्ताओं के लिए।यह आदेश उक्त द्वारा दायर रिट याचिका में पारित किया गया

अपीलकर्ता को कभी भी उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती नहीं मिली। नतीजतन, डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश उक्त अपीलकर्ता से संबंधित नहीं था और न ही उसे राज्य द्वारा दायर अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। ऐसे में इस आधार पर उनकी सेवाओं को समाप्त करना कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष रिटयाचिकाकर्ता नहीं थे, उचित नहीं था। [पैरा 24](1630-ए·डी)

कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2002) 6 एस. सी. सी. 562; 2002 (1) पूरक एससीआर 317; दीपक कुमार सुथार बनाम राजस्थान राज्य (1999) 2 राज एल. आर.; गिरधर कुमार दाधीच और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2009) 2 एससीसी 706: 2009 (1) एस. सी. आर. 585; मदन लाल और अन्य बनाम जे एंड के राज्य और अन्य (1995) 3 एससीसी 486: 1995 एससीआर 908; मनमोहन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 2014 (5) एस. सी. सी. 782-संदर्भित।

मामला कानून के संदर्भ

2002 (1) पूरक एससीआर 317 संदर्भित किया गया है पैरा 3

(1999) 2 राज एल आर संदर्भित किया गया है पैरा 3

2009(1) एस सी आर 585 संदर्भित किया गया है पैरा 12

1995 (1) एससीआर 908 संदर्भित किया गया है पैरा 15

2014 (5) एस. सी. सी. 782 संदर्भित किया गया है पैरा 2

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 4294/ 2014

2012 की डीबीसीएसए संख्या 695 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 23.07.2012 से।

के साथ

सिविल अपील संख्या : 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328-4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334-4337, 4338, 4304, 4305, 4306, 4307, 4309, 4310, 4311-4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319-4320 और 4321/2014

चंद्र उदय सिंह, पी. एस. पटवालिया, आर. पी. भट्ट, वी. के. बाली, कविन गुलाटी और सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिव मंगल शर्मा, एएजी, सुश्री शोभा, सुश्री ज्योति राणा, प्रसन्ना मोहन, निखिल सिंघवी, अभिषेक गुप्ता, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, एस. के. सिन्हा, आदित्य सोनी, सुश्री क्रिस्टीन ए.कुमार, डॉ. कृष्ण सिंह चौहान, रवि प्रकाश, अजीत कुमार,एक्का,चंद किरण,मुरारीलाल भक्ति वर्धन सिंह,शुभाशीष आर. सोरेन, आर. सी. कोहली, अंकित कोहली, राम निवास, लाल प्रताप सिंह, विक्रम

सिंह आर्य, वरुण गुलिया, डॉ. कैलाश चंद, कृपाल सिंह, रणवीर सिंह, सुश्री के. आर. चित्रा, श्री पाल सिंह, श्रीमती अभिनंदिनी शर्मा, निशित अग्रवाल, सितेश नारायण सिंह, श्रेय कपूर, अक्षत आनंद, इरशाद अहमद, सुश्री प्रगति नीखरा, राहुल वर्मा, मिलिंद कुमार, सुश्री दिव्या द्यूति बनर्जी, अभिजीत सेनगुप्ता, सुश्री आर्ची अग्नि, एस. के.सभरवाल, एन. के. शर्मा, सतीश चंद गुप्ता, सर्वेंद्र कुमार, सुश्री अनुकंक्षा सिंह, देबाशीष मिश्रा, सतीश कुमार, के. विजयन, के. राजीव, उज्जवल पांडे, अंकुर यादव, सुश्री आशा गोपालन नायर, हरिंदर मोहन सिंह, सुश्री शबाना, रजनी कांत अवस्थी, सुश्री शमा प्रवीण, ऋषि मटोलिया, और सारद के. सिंघानिया, राजेश सिंह, पी. के. जयकृष्णन और एम. एम.कश्यप, अधिवक्ता, उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

न्यायाधिपति टी. एस. ठाकुर

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. अनुमति दे दी गई।

3. विशेष अनुमति द्वारा इन अपीलों का भाग्य इस न्यायालय द्वारा कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2002) 6 एससीसी 562 में पारित आदेश की सच्ची और सही समझ पर निर्भर करता है। यह न्यायालय उस मामले में जांच कर रहा था कि क्या पुरस्कार राजस्थान राज्य में जिला परिषदों के तहत प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति चाहने वाले उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान के आधार पर

बोनस अंक कानूनी रूप से स्वीकार्य थे। इसी तरह के प्रश्न की पहले दीपक कुमार सुथार बनाम राजस्थान राज्य (1999) 2 राज एलआर 692 [डब्ल्यू.पी(सी) क्रमांक 1917/1995] मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा जांच की गई थी और नकारात्मक उत्तर दिया गया था। जो राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राज्य कैडर में आने वाले ग्रेड II और III शिक्षकों के चयन से उत्पन्न हुआ। उच्च न्यायालय ने दीपक कुमार के मामले (सुप्रा) में कहा था कि हालांकि बोनस अंक देना संवैधानिक रूप से वैध नहीं था, लेकिन उस मामले में रिट याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि सफल उम्मीदवार को बोनस अंक देने की उपेक्षा किए जाने पर भी उनके पास कोई मौका नहीं था। और ऐसे अंकों को ध्यान में रखे बिना उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता निर्धारित की जाती है। दीपक कुमार के मामले (सुप्रा) में पारित आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:

> "मामले को उचित पीठ के पास भेजने के बजाय,हम इस याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित करना उचित समझते हैं कि याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि शहरी क्षेत्र के निवासी होने के कारण वे 10 बोनस अंक प्राप्त करके भी मेरिट सूची में स्थान पाने में सफल नहीं हो सके, जिसके वे निश्चित रूप से हकदार नहीं हैं। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं ने चयन सूची में से किसी भी व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया है,

यहां तक कि अंतिम चयनित उम्मीदवार को भी नहीं। ऐसे में इसके बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती तथ्य यह है कि आक्षेपित परिपत्र के अनुरूप की गई नियुक्तियाँ कानून के अनुरूप नहीं हैं। हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि पहले की गई कोई भी नियुक्ति इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी और इसका संभावित अनुप्रयोग होगा।"

4. प्राइमरी के पदों को भरने के लिए जब चयन प्रक्रिया राजस्थान राज्य के छह अलग-अलग जिलों में स्कूल शिक्षकों के लिए वर्ष 1998-99 में शुरू की गई, उम्मीदवारों के निवास स्थान के आधार पर बोनस अंक देने की प्रक्रिया एक बार फिर उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती में आ गई। चुनौती के लिए 10 जून को एक परिपत्र द्वारा प्रदान किया गया था, चुनौती के लिए तत्काल प्रोत्साहन ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा जारी 10 जून 1998 के एक परिपत्र प्रदान किया गया था, जिसमें पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध चयन और नियुक्तियाँ करने के लिए, जिसमें उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर योग्यता के निर्धारण की विधि और बोनस अंक प्रदान करना शामिल है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार राजस्थान के निवासी हैं और राज्य के शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। परिपत्र ने कहा:

इस वर्ष योग्यता निर्धारण में संशोधन किया गया है और योग्यता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगाः

i. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक

क्रमांक	योग्यता	महत्व
1.	माध्यमिक परीक्षा	50%
2.	उच्च माध्यमिक परीक्षा	20%
3.	एस टी सी/बी एड	30%

ii. मूल निवासियों के लिए बोनस अंक का निर्धारण

राजस्थान के निवासी	10 अंक
जिले के निवासी	10 अंक
जिले के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी	5 अंक
सी/बी एड /एस टी सी/बी एड	30 अंक

5. कुछ उम्मीदवार जो बाहर से थे इसलिए जो जिले बोनस अंक देने के लिए पात्र नहीं हैं, उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें बोनस अंक देने के प्रावधान वाले परिपत्र को चुनौती दी गई है। उन याचिकाओं को जब एक आधिकारिक फैसले के लिए पूर्ण पीठ के पास भेजा गया तो कैलाश चंद्र शर्मा के मामले (सुप्रा) में उच्च न्यायालय के फैसले में परिणत हुआ, जिसमें उच्च न्यायालय ने माना कि बोनस अंकों की संवैधानिक वैधता का सवाल अब एकीकृत नहीं रह गया है।

प्रथम पूर्ण पीठ दीपक कुमार के मामले का निर्णय (सुप्रा)। कैलाश चंद शर्मा मामले (सुप्रा) में दूसरी पूर्ण पीठ ने सर्कुलर और बोनस अंक देने को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा उन्हीं शर्तों पर किया, जैसा कि दीपक कुमार के मामले (सुप्रा) में पहली पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया था। कोर्ट ने कहा:

> "इस न्यायालय की पूर्ण पीठ में पूर्ण पीठ का संदर्भ दिया गया है रिट याचिका संख्या 1917195 पहले ही इन मामलों में विचार के लिए उठने वाले प्रश्न का उत्तर दे चुकी है साथ ही, इन मामलों का निपटारा पूर्ण पीठ के फैसले में बताए गए उन्हीं कारणों से किया जाना है और उन्हीं शर्तों के तहत यह स्पष्ट किया जाना है कि मामले में रोजगार पंचायत के साथ-साथ शिक्षा से भी संबंधित है। केवल इसलिए कि रोजगार का संबंध पंचायत से है, वह नहीं बनता पूर्ण रूप से निर्धारित कानून के आलोक में कोई भी अंतर पीठ का निर्णय पूर्वोक्त है। तदनुसार आदेश दिया गया।" (जोर दिया गया)

6. यह स्पष्ट है कि जब पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाया तब भी बोनस अंक देना असंवैधानिक होने के कारण रिट याचिकाकर्ताओं को वास्तव में न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। मामला यहीं शांत नहीं हुआ, पूर्ण पीठ के फैसले के बाद, रिट याचिकाओं का एक और बैच उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 26 फरवरी, 2001 के अपने आदेश द्वारा

निपटाया गया, जिसमें नियुक्त उम्मीदवारों की नई मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था। या बोनस अंकों की परवाह किए बिना 21 अक्टूबर 1999 से पहले। उस निर्देश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील विफल रही और उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 13 अप्रैल, 2001 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दी।

7. पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध हूँ कैलाश चंद शर्मा के मामले में उच्च न्यायालय (सुप्रा) में रिट-याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय में अपील की। राज्य ने नई मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी अपील दायर की। कैलाश चंद शर्मा और अन्य द्वारा दायर सिविल अपील और नवल किशोर के मामले में राजस्थान राज्य द्वारा दायर की गई अपीलों को इस न्यायालय ने 30 जुलाई, 2002 के एक आदेश द्वारा सुना और निपटाया, जिसके तहत इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की। कोई अनिश्चित शर्त नहीं है कि निवास या जन्म स्थान के आधार पर बोनस अंक या वेटेज का पुरस्कार किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन और समानता की संवैधानिक गारंटी के लिए आवश्यक विचारों के अभाव में कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं था।ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने जांच की कि क्या निर्णय यह मानते हुए कि वेटेज/बोनस अंक है संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य को संभावित प्रभाव दिया जाना चाहिए ताकि कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) यानी 18 नवंबर, 1999 में दूसरे पूर्ण पीठ के फैसले से

पहले की गई नियुक्तियां अप्रभावित रह जाएं।इस न्यायालय ने नोट किया कि ऐसे कई उदाहरण थे जहां नियुक्तियों और पदोन्नति सहित पिछले कार्यों और लेनदेन को इस न्यायालय द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित कानून के विपरीत बनाया गया था, लेकिन संभावित ओवररूलिंग के सिद्धांत पर या अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्तियों को लागू करके अछूता छोड़ दिया गया था। संविधान में संभावित फैसले के सिद्धांत को लागू करते हुए इस न्यायालय ने पाया कि अतीत में चयन और पदोन्नति संबंधित जिलों के निवासियों को बोनस अंक देकर की गई थी और इस तरह के वेटेज के पुरस्कार को राजस्थान के उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। इस न्यायालय ने यह भी नोट किया कि इस विषय पर कानून संबंधित अवधि के दौरान परिवर्तन की स्थिति में था, जैसा कि समय-समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा से स्पष्ट था। इन पहलुओं पर ध्यान देते हुए इस न्यायालय ने संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को लागू करके और राहत को सीमित करके प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करने की आवश्यकता को पहचाना। केवल उन रिट-याचिकाकर्ताओं को जो उच्च न्यायालय में चले गए थे। 18 नवंबर, 1999 को या उसके बाद की गई नियुक्तियाँ यानी जिस तारीख को कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) का फैसला उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, अकेले अपीलकर्ताओं के दावों के अधीन कर दी गई थी।हम वर्तमान में कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के ऑपरेटिव भाग का उल्लेख करेंगे क्योंकि जैसा कि पहले देखा गया है, इस मामले में

विवाद पूरी तरह से उक्त आदेश की सच्ची और सही व्याख्या पर आधारित है। लेकिन ऐसा करने से पहले, हम विवाद को उचित परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने रखने के लिए तथ्यात्मक विवरण को पूरा करना आवश्यक समझें।

8. इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कैलाश चंद शर्मा के मामले में (सुप्रा) राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर, 2002 को एक आदेश जारी किया जिससे ऐसे मामलों की पहचान की गई जिनमें रिट-याचिकाकर्ताओं को 18 नवंबर, 1999 को या उसके बाद नियुक्ति के लिए नियुक्त या सूचीबद्धराज्य सरकार ने 23 अलग-अलग मामलों की पहचान की जिनमें उम्मीदवारों को इस तरह के विचार के लिए योग्य पाया गया। इस बीच, कुछ उम्मीदवार जो खुद को कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में विचार के लिए पात्र मानते थे, ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और निर्देशों को लागू करने में विफलता के लिए अवमानना कार्यवाही की धमकी दी। इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए। परिणाम यह हुआ कि कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कथित पालन में कई नियुक्ति आदेश जारी किए गए।

9. इस अवधि के दौरान राज्य सरकार को अन्य बातों के अलावा शिकायतें मिलनी शुरू हो गईं, जिनमें आरोप लगाया गया कि कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अंतर्निहित भावना का उल्लंघन करते हुए राज्य के कई जिलों में फर्जी और अनियमित

नियुक्तियां की गईं। इन शिकायतों पर ध्यान देते हुए, राज्य सरकार ने 23 अप्रैल, 2005 को एक सामान्य आदेश जारी कर संबंधित जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को ऐसे फर्जी और अनियमित रूप से नियुक्त उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उनकी सेवाओं को समाप्त करने की कार्यवाही करने के लिए कहा। उन्हें मामले में सुनवाई का अवसर देने के बाद। तदनुसार उन अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए जिनकी संबंधित अधिकारियों के अनुसार धोखाधड़ी से नियुक्ति हुई थी। ऐसे प्रभावित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया। सरकार के सचिव, शिक्षा विभाग ने 4 अप्रैल, 2011 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश केवल ऐसे उम्मीदवारों तक ही सीमित थे जो इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार थे।नियुक्ति अधिकारियों को तदनुसार कार्रवाई करने और उस शर्त को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। ऐसे कई व्यक्तियों की सेवाएं तदनुसार समाप्त कर दी गईं, जिससे व्यथित होकर प्रभावित उम्मीदवारों ने रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें ऐसे नियुक्तियों को निष्कासन से बचाने के लिए कुछ अंतरिम आदेश भी पारित किए गए थे।

10. सुरेश चंद्र शर्मा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एसएलपी नंबर 1377 ऑफ 2009 में, जो जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

पारित 25 मार्च, 2009 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुआ था, अपीलकर्ताओं ने असफल रूप से अपनी नियुक्ति के निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय से एक परमादेश का दावा किया था। उस याचिका में अपीलकर्ताओं का मामला यह था कि यद्यपि कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दी गई राहत रिट-याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित थी, बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था जो उस मामले में पारित आदेश के दायरे में नहीं आते थे। विभिन्न जिलों के जिला परिषद स्कूलों में सहायक शिक्षक ग्रेड II के रूप में। राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा उल्लिखित लोगों सहित कुछ व्यक्तियों को प्रतिवादियों द्वारा नियुक्त किया गया था, लेकिन ऐसे अवैध रूप से नियुक्त व्यक्तियों को राज्य द्वारा हटाने की मांग की गई थी, जिसके खिलाफ पीड़ित व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया और अंतरिम आदेश प्राप्त किए। उनके पक्ष में। चूँकि यह चित्र जारी किए गए निर्देशों के विपरीत नियुक्त किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या से संबंधित है न्यायालय और ऐसी नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार लोगों को हटाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम स्पष्ट नहीं थे, इस न्यायालय ने राजस्थान सरकार के सचिव, प्रभारी, शिक्षा विभाग को जांच करने और संख्या के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कैलाश चंदशर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के आदेश के विपरीत की गई नियुक्तियाँ और नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत करें, उन्हें हटाने के लिए राजस्थान

सरकार द्वारा उठाए गए कदम और ऐसी नियुक्तियाँ करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही, यदि कोई हो, शुरू की जाए।

11. 30 अगस्त 2012 को जब यह मामला दोबारा आया तो शासन सचिव की रिपोर्ट दाखिल की गई और राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने 50 ऐसे लोगों की सेवाएं अवैध तरीके से समाप्त कर दी हैं जो उसके अनुसार थे. शिक्षक के रूप में नियुक्त किये गये। यह भी प्रस्तुत किया गया कि ऐसे कर्मचारियों ने जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं में बर्खास्तगी के आदेश पर सवाल उठाया था, जो लंबित हैं और जिसमें उच्च न्यायालय ने उनकी बर्खास्तगी की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए विभिन्न आदेश पारित किए थे।

12. उपरोक्त पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय से लंबित मामलों को एक साथ जोड़ने और उन्हें शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने तदनुसार मामलों की सुनवाई की और उन अपीलों पर आदेश पारित किए जो अलग-अलग हैं लेकिन इन सामग्रियों में समान हैं। उच्च न्यायालय ने उन अभ्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पक्ष में फर्जी नियुक्ति आदेश प्राप्त किए थे। उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नियुक्त और हटाए गए लोग कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सही और उचित व्याख्या पर ऐसी नियुक्ति

के लिए योग्य नहीं थे। उच्च न्यायालय ने गिरधर कुमार दाधीच और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2009) 2 एससीसी 706 में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन प्राप्त किया है, और पाया है कि संबंधित उम्मीदवारों ने केवल अपने पक्ष में फर्जी नियुक्तियां सुरक्षित करने के लिए भौतिक तथ्यों को छिपाया था या गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। इसलिए, ऐसे उम्मीदवार सेवा में बने रहने के हकदार नहीं थे और न ही वे न्यायालय से किसी राहत के हकदार थे। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, वर्तमान अपीलें उच्च न्यायालय के उक्त निर्णयों और आदेशों की सत्यता पर सवाल उठाती हैं।

13. हमने उन पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी देर तक सुना है जो कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में हमें इस न्यायालय के फैसले से बार-बार अवगत कराने के लिए परेशान थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन कार्यवाहियों में किसी भी राहत के लिए अपीलकर्ताओं का अधिकार पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में स्वीकार्य है। जैसा कि पहले कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में देखा गया था, इस न्यायालय ने मुख्य रूप से दो कारणों से संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को लागू किया।सबसे पहले, इस न्यायालय ने पाया कि लगभग एक दशक तक संबंधित जिलों और उसमें आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को बोनस अंक देकर चयन किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने कई

फैसलों में बरकरार रखा था। वर्तमान मामले में चयन प्रक्रिया शुरू होने और पूरी होने तक ये निर्णय प्रभावी रहे। हालाँकि, उन निर्णयों की शुद्धता थी संदेह तब हुआ जब कैलाश चंद शर्मा और अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाएं एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आईं, जिसके परिणामस्वरूप मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया। जब तक उन रिट याचिकाओं पर निर्णय आया, तब तक कई जिलों में अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रकाशित हो चुकी थी। इस प्रकार कानून परिवर्तन की स्थिति में था जिसने संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत के आह्वान को उचित ठहराया। इस न्यायालय ने कहा:

> "वर्तमान मामले में, चयन प्रक्रिया की वैधता बोनस अंक जोड़ने से ऐसा नहीं हो सका न्यायिक मिसालों के मद्देनजर नियुक्ति प्राधिकारियों या उम्मीदवारों द्वारा गंभीरता से संदेह किया गया। चयन प्रक्रिया पूरी होने और परिणाम घोषित होने या घोषित होने के बाद ही उक्त निर्णयों पर संदेह जताया गया था। इसलिए, चयन के बाद दिए गए पूर्ण पीठ के फैसले को संभावित रूप से लागू करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।"

14. संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को लागू करने के लिए इस न्यायालय ने जो दूसरा कारण दिया, वह यह था कि विवादित चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित और नियुक्त किए गए सभी लोगों को

रिट कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने कहा:

"एक और पहलू जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह है कि लगभग सभी रिट याचिकाओं में नियुक्त अभ्यर्थियों को, चयनित अभ्यर्थियों की तो बात ही छोड़िये, उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया। हो सकता है,प्रभावित होने की संभावना वाले प्रत्येक पक्ष को नोटिस देने की श्रमसाध्य और लंबे समय तक चलने वाली कवायद की आवश्यकता न हो। कम से कम, समाचार पत्र प्रकाशन द्वारा एक सामान्य सूचना मांगी जा सकती थी या वैकल्पिक रूप से, कम से कम चयनित/नियुक्त अंतिम उम्मीदवारों में से कुछ को नोटिस दिया जा सकता था; लेकिन, लगभग सभी मामलों में ऐसा नहीं किया गया। यही कारण है कि नए रास्ते पर चलने वाले फैसले से जहां तक संभव हो पहले से नियुक्त उम्मीदवारों को नुकसान नहीं होना चाहिए।हम इस सवाल पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं कि क्या रिट याचिकाकर्ता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे अधिसूचना या सामान्य आवेदन के नीतिगत निर्णय को चुनौती दे रहे थे, याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान चयनित/नियुक्त सभी उम्मीदवारों को पक्षकार बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे; लेकिन, हम इस तथ्य को उच्च न्यायालय के

दृष्टिकोण की ओर झुकने के लिए ध्यान में रख रहे हैं कि उसके फैसले को संभावित रूप से लागू किया जाना चाहिए, भले ही गैर-अनुपालन एक घातक दोष न हो।"

15. इस न्यायालय ने अगली बार संभावना की सीमा की जांच की जिसे चुनौती के तहत चयन और नियुक्ति प्रक्रिया की तुलना में कानून की घोषणा के लिए दिया जा सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा तीन प्रकार की दलीलें देखी गईं। सबसे पहले, न्यायालय ने इस तर्क पर ध्यान दिया कि चयनित और/या नियुक्त लोगों को कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में घोषित कानून से अप्रभावित रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य के चयनों पर निर्णय लागू करना अधिक तर्कसंगत और तार्किक होगा। विभिन्न प्रशासनिक कारणों से नियुक्ति आदेश प्राप्त करने की स्थिति में न होने की आकस्मिक परिस्थिति पहले से ही नियुक्त या फैसले की तारीख के बाद नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के रास्ते में नहीं आ सकती। प्रतिवादियों की ओर से प्रतिद्वंद्वी तर्क में आग्रह किया गया कि 18 नवंबर, 1999 के बाद आगे की नियुक्तियां करने का कोई कानूनी या नैतिक औचित्य नहीं था, जब कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) का फैसला इस न्यायालय द्वारा भी किया गया था। मदन लाल और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य (1995) 3 एससीसी 486 और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था, जिस पर चयनित उम्मीदवारों ने इस तर्क के समर्थन में भरोसा किया था कि रिट-

याचिकाकर्ताओं ने एक मौका मिला और चयन प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन नियुक्ति हासिल करने में असफल रहने पर उक्त प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सके। इन सभी दलीलों की पृष्ठभूमि में ही इस न्यायालय ने राहत को उपयुक्त रूप दिया और निर्देश जारी किये। यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने राहत को केवल उन्हीं अभ्यर्थियों तक सीमित रखना उचित और उचित समझा, जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट-याचिकाकर्ता थे, इस निर्देश के साथ कि 18 नवंबर, 1999 को या उसके बाद किसी भी जिले में की गई नियुक्तियाँ नहीं होंगी। ऐसे अपीलकर्ताओं के दावों के अधीन रहेंगे। कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले का पैरा 46, जो हमारे सामने उठाए गए कई सवालों की कुंजी रखता है, इस स्तर पर निकाला जा सकता है:

> "46 ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए और तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और सैद्धांतिक रूप से संभावित फैसले की स्वीकृति के आलोक में प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हम राहत को केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित रखना उचित और उचित मानते हैं। जिसने उच्च न्यायालय का रुख किया और बनाने के लिए याचिकाकर्ताओं के दावों के अधीन किसी भी जिले में 18-11-1999 को या उसके बाद की गई नियुक्तियाँ तदनुसार हम निर्देश देते हैं:

1. रिट याचिकाकर्ताओं के दावों पर इस फैसले के आलोक में 18-11-1999 को या उसके बाद नियुक्त उम्मीदवारों या चयन सूची में शामिल उन लोगों की तुलना में नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए जिन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। उस पर ऐसा विचार, यदि उन रिट याचिकाकर्ताओं को पाया जाता है यदि 10% और/या 5% के बोनस अंकों को हटा दिया जाता है, तो उनके पास बेहतर योग्यता है, उन्हें 18-11-1999 को या उसके बाद नियुक्त उम्मीदवारों को विस्थापित करके, यदि आवश्यक हो, नियुक्तियों की पेशकश की जानी चाहिए।

2. 17-11-1999 तक की गई नियुक्तियों की आवश्यकता नहीं है इस निर्णय में निर्धारित कानून के आलोक में फिर से खोला जाए और पुनर्विचार किया जाए।

3. अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 542/2000 को खारिज कर दिया गया है क्योंकि यह उच्च न्यायालय के फैसले के लगभग एक साल बाद दायर की गई थी और पहले के समय में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय से संपर्क नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।"

16. उपरोक्त को ध्यान से पढ़ने पर कोई रास्ता नहीं छूटता संदेह है कि (ए) इस न्यायालय ने संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को लागू किया

है जिसका अर्थ है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून केवल भविष्य के चयनों पर लागू होगा और यद्यपि नियुक्तियों पर फैसले की संभावना है, (बी) 18 नवंबर, 1999 से पहले की गई नियुक्तियां अछूती हैं, जिन रिट याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, उन्हें 18 नवंबर, 1999 को या उसके बाद नियुक्त उम्मीदवारों या ऐसे नियुक्त/चयनित उम्मीदवारों को परिपत्र के तहत बोनस अंकों का लाभ दिए बिना चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों की तुलना में नए सिरे से विचार करना था, और (सी) कि रिट-याचिकाकर्ताओं के इस तरह के विचार के बाद यदि वे 18 नवंबर, 1999 के बाद नियुक्त किए गए लोगों की तुलना में योग्यता में श्रेष्ठ पाए जाते हैं, तो उन्हें बाद वाले को हटाकर, यदि आवश्यक हो, नियुक्तियों की पेशकश की जाएगी।

17. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दृढ़ता से तर्क दिया गया कि पैरा 46 (सुप्रा) में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "अपीलकर्ता जिन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया" काफी व्यापक था और वास्तव में न केवल ऐसे रिट-याचिकाकर्ताओं को कवर किया गया था जिन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों के दो बैचों में, बल्कि ऐसे सभी उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिन्होंने 18 नवंबर, 1999 के बाद किसी भी समय रिट याचिका दायर की हो, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने 30 जुलाई, 2002 के बाद ऐसी याचिका दायर की थी। जब इस न्यायालय

ने कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) और संबंधित मामलों में अपील का फैसला किया।

18. हमें उस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले या उसके पैरा 46 में जारी किए गए निर्देशों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि यह न्यायालय इसके प्रति सचेत था या सूचित था। 18 नवंबर, 1999 के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किसी भी रिट याचिका का लंबित होना। यह सुझाव देने के लिए भी कुछ नहीं है कि इस न्यायालय का इरादा पैरा 46 के तहत निर्देश (1) के संदर्भ में दिए गए लाभ को न केवल उन रिट याचिकाकर्ताओं तक विस्तारित करना है, जिन्होंने कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में और दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय का रुख किया था। नवल किशोर और अन्य द्वारा, लेकिन इसका उद्देश्य उन सभी लोगों को लाभ पहुंचाना है, जिन्होंने किसी भी समय उच्च न्यायालय की अनदेखी की थी या कर सकते थे। इसके विपरीत तथ्य का सकारात्मक संकेत मिलता है कि न्यायालय का इरादा किसी को लाभ देने का नहीं था।

अपीलकर्ता जिसने 18 नवंबर, 1999 के बाद किसी भी चरण में बोनस अंक दिए जाने और उसके आधार पर चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में 2000 की रिट याचिका संख्या 542 दायर की गई थी। इस न्यायालय द्वारा पैरा 46 के तहत निर्देश (3) के संदर्भ में इस

आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसे उच्च न्यायालय के फैसले के लगभग एक साल बाद दायर किया गया था। अभिव्यक्ति "जैसा कि यह उच्च न्यायालय के फैसले के बाद दायर किया गया है" पैरा 46 के तहत निर्देश (3) स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि राहत देने के लिए इस न्यायालय के पास केवल कैलाशचंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में फैसले से पहले दायर की गई याचिकाएं थीं, न कि 18 नवंबर, 1999 के बाद दायर की गई याचिकाएं जब उक्त निर्णय सुनाया गया था। इस न्यायालय की यह टिप्पणी कि रिट-याचिकाकर्ताओं ने पहले भी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में संपर्क न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था, के भी दो अलग-अलग पहलू हैं, अर्थात्, (1) कि रिट-याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में 2000 की संख्या 542 को आमतौर पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था और (2) उन्हें पहले ही समय पर ऐसा करना चाहिए था। इन कारणों में से बाद में फिर से इस बात पर जोर दिया गया कि इस न्यायालय ने राहत देने के मामले में याचिका दायर करने में देरी को महत्व दिया है, क्योंकि जिन लोगों ने समय पर चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी, उन्हें कोई राहत नहीं दी गई।

19. उपरोक्त पृष्ठभूमि में वर्तमान अपीलों पर निर्णय लिया गया इसे दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् श्रेणी । इसमें वे रिट याचिकाएँ शामिल हैं जो 18 नवंबर, 1999 के बाद और 30 जुलाई, 2002 से पहले दायर की गई थीं, जैसा कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर 2000

की रिट याचिका संख्या 542 में स्थिति थी और श्रेणी II में इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी जिसमें 30 जुलाई 2002 के बाद दायर की गई रिट याचिकाएँ शामिल थीं। जबकि श्रेणी II मामलों के संबंध में ऐसा कुछ भी तार्किक रूप से तर्क नहीं दिया जा सकता है कि कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में फैसले का लाभ उन मामलों तक बढ़ाया जा सके, यहां तक कि श्रेणी I मामलों के संबंध में भी इस न्यायालय का निर्णय कोई उम्मीद नहीं रखता है। श्रेणी I के मामलों में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दलील दी गई कि नवल किशोर शर्मा के बैच में रिट याचिका कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले की घोषणा के बाद दायर की गई। नवल किशोर शर्मा की रिट याचिकाओं के बैच में अपीलकर्ताओं को लाभ देना और उन रिट-याचिकाकर्ताओं के साथ समान व्यवहार से इंकार करना, जिन्होंने बाद में भी इसी तरह अपनी याचिकाएं दायर की थीं, अनुचित और असमान होगा। उन्होंने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा नवल किशोर शर्मा और अन्य (सुप्रा) को दी गई राहत को कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्देशों को उदारतापूर्वक समझकर अन्य समान स्थिति वाले रिट-याचिकाकर्ताओं तक भी बढ़ाया जाना चाहिए।

20. हमारी राय में उस विवाद में कोई दम नहीं है दोनों में से एक। श्रेणी I के मामलों में कोई भी रिट याचिका उस तारीख से पहले दायर नहीं की गई थी जिस दिन नवल किशोर शर्मा के मामले (सुप्रा) में रिट याचिका

दायर की गई थी। किसी भी दर पर, यह तर्क कि कुछ रिट याचिकाएं उसी समय के आसपास दायर की गई थीं जब नवल किशोर शर्मा के मामले (सुप्रा) का फैसला किया गया था, हमारे लिए कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में जारी निर्देश के दायरे को बढ़ाने का कोई कारण नहीं हो सकता है। यह सत्य और उचित है, निर्माण उन रिट-याचिकाकर्ताओं तक सीमित है जिन्होंने उन मामलों में उच्च न्यायालय का रुख किया था। हमें खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि हम कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में समीक्षा याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं और न ही हम उस मामले में पारित आदेश को संशोधित कर सकते हैं। जो बात हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, उसे अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उदार व्याख्या के रूप में वर्णित करके अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है।

21. श्री बाली, कुछ की ओर से उपस्थित हुए विद्वान वकील श्रेणी II के अपीलकर्ताओं ने दृढ़ता से तर्क दिया कि हालांकि उन मामलों में अपीलकर्ता कैलाश चंद शर्मा के मामले में इस न्यायालय के फैसले की घोषणा से पहले किसी भी समय रिट याचिकाकर्ता नहीं थे, लेकिन कुछ अपीलकर्ता वास्तव में विचार के आधार पर शिक्षक नियुक्त किए जा सकते थे और थे। 18 नवंबर, 1999 के बाद नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की तुलना में उनकी इंटर से मेरिट। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे उम्मीदवारों को बोनस अंकों के साथ योग्यता में कम अंक वाले व्यक्तियों की नियुक्ति के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार कैलाश चंद शर्मा के

मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले से छीना नहीं जा सकता था। इसका तात्पर्य यह होगा कि उक्त निर्णय से स्वतंत्र होने पर भी यदि रिट-याचिकाकर्ता योग्यता में उच्चतर है 18 नवंबर, 1999 के बाद किसी भी समय नियुक्त किए गए अपीलकर्ता शिकायत कर सकते हैं और सरकार से निवारण की मांग कर सकते हैं। हालाँकि ऐसी नियुक्तियाँ श्रेणी II के अंतर्गत आने वाले कुछ मामलों में की गई हैं, लेकिन इसे केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि रिट याचिकाएँ कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में फैसला सुनाए जाने के बाद दायर की गई थीं।

22. प्रतिवादियों की ओर से श्री शिव मंगल शर्मा, राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान ने प्रस्तुत किया कि कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में श्रेणी II मामलों की नियुक्ति स्पष्ट रूप से अवैध और अस्वीकार्य थी। यह तर्क कि श्रेणी II में कुछ अपीलकर्ता बोनस अंक हटाए बिना भी योग्यता में बेहतर थे, पूरी तरह से अस्थिर और बिना किसी आधार के था। अपीलकर्ताओं द्वारा अपनी संबंधित रिट याचिकाओं में ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है। राज्य द्वारा दायर एक हलफनामे में, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है कि श्रेणी II में आने वाले उम्मीदवार जिन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है, उनकी योग्यता में बोनस अंकों के साथ खुली सामान्य श्रेणी के तहत नियुक्त अंतिम उम्मीदवार की तुलना में कम है, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल थे।

23. प्रस्तुत तर्क में काफी दम है श्री शर्मा द्वारा जिस मामले पर बार में बहस की मांग की गई थी, उसे उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में कभी स्थापित नहीं किया गया था। ऐसा दूर-दूर तक नहीं कहा गया कि अपीलकर्ताओं को बोनस अंक हटाए बिना उनकी बेहतर योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था। वास्तव में यदि कम योग्यता वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, तो ऐसी नियुक्ति को चुनौती देने वाली रिट-याचिका तुरंत दायर की जानी चाहिए थी, न कि देर से, जैसा कि इस मामले में स्थिति थी। इसके अलावा उत्तरदाताओं द्वारा दायर हलफनामा श्री बाली द्वारा बार में दिए गए तर्क का संतोषजनक ढंग से खंडन करता है। बोनस अंकों को हटाए बिना योग्यता स्थिति श्रेणी II के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति को उचित नहीं ठहराती क्योंकि वे सभी पिछले उम्मीदवार की तुलना में योग्यता में कम थे। खुली सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया गया। इसलिए, हमें इस तर्क को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि श्रेणी II के अंतर्गत आने वाले लोगों की नियुक्तियाँ कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों से स्वतंत्र किसी भी आधार पर उचित थीं। यह सराहनीय है कि नियुक्त किए गए लोगों में से कुछ ने यह कहते हुए हलफनामा भी दायर किया था कि वे इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार थे जो वास्तव में सही स्थिति नहीं थी।

24. सिविल अपील में अपीलकर्ता की ओर से 2012 की एसएलपी संख्या 31818 में यह तर्क दिया गया कि सेवाओं की समाप्ति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुचित थी कि उक्त अपीलकर्ता नवल किशोर शर्मा और अन्य के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट-याचिकाकर्ता था, 2000 की रिट याचिका संख्या 2200 दानवीर सिंह द्वारा दायर की गई थी। 26 फरवरी, 2001 को एक सामान्य आदेश द्वारा नवल किशोर के मामले के साथ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। उस आदेश को राज्य द्वारा 2001 की रिट अपील संख्या 130 में चुनौती दी गई थी, लेकिन केवल बैच के अन्य रिट याचिकाकर्ताओं के लिए ही मान्य थी। दानवीर सिंह द्वारा दायर रिट याचिका में पारित आदेश को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष कभी चुनौती नहीं थी। नतीजतन, खंडपीठ द्वारा पारित आदेश उक्त अपीलकर्ता से संबंधित नहीं था और न ही उसे राज्य द्वारा दायर अपील में इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। ऐसा होने पर, दानवीर सिंह की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त करना कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता नहीं था, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उचित नहीं था। यह तर्क दिया गया कि महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट-याचिकाकर्ता था, जहां से नवल किशोर के मामले (सुप्रा) में फैसला आया था। तथ्य यह है कि राज्य ने आदेश को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना था दानवीर सिंह के पक्ष में पारित आदेश उक्त अपीलकर्ता को उन लोगों की तुलना में अधिक नुकसानदेह स्थिति में नहीं

डाल सकता, जिनके खिलाफ राज्य ने पहले उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष और बाद में इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी।

25. हमारी राय में, इसमें काफी योग्यता है अपीलकर्ता दानवीर सिंह के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया। यहां तक कि प्रतिवादी की ओर से उपस्थित श्री मंगल शर्मा ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि कैलाश चंद शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के आदेश के सही और उचित निर्माण पर दानवीर सिंह को नियुक्ति के लाभ से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आदेश उनके पक्ष में पारित हुआ था। राज्य द्वारा हमला नहीं किया गया था या क्योंकि उन्हें राज्य द्वारा दायर अपील में सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। उस दृष्टि से दानवीर सिंह की सेवा समाप्ति को कायम नहीं रखा जा सकता।

26. अंतिम रूप से विद्वान वकील द्वारा इस पर बहस की गई अपीलकर्ताओं का कहना है कि अपीलकर्ताओं को नियुक्त किया गया था और उन्होंने लगभग एक दशक तक उन स्कूलों में सेवा की है जहां उन्हें तैनात किया गया है। उनकी नियुक्तियां इस न्यायालय के आदेश की व्याख्या में एक वास्तविक त्रुटि के आधार पर की गई हैं, लेकिन जब तक कि उनके द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी अपीलकर्ताओं के पास कोई कारण नहीं था कि उन्हें इतनी लंबी सेवा के लाभ से वंचित किया जाए। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अपीलकर्ता अब तक

शिक्षकों के रूप में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं, इसलिए यह न्यायालय आयु सीमा में छूट देकर भविष्य की भर्तियों में उनके मामलों पर विचार करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

27. अपीलकर्ताओं को नियुक्त किया गया था और उन्होंने लगभग एक दशक तक सेवा की है लेकिन ऐसे आरोप हैं तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और धोखाधड़ी से नियुक्तियाँ प्राप्त की गईं। हम उस पहलू पर जाना जरूरी नहीं समझते क्योंकि हमें बताया गया है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ पहले ही आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हमारे द्वारा किया गया कोई भी अवलोकन कि नियुक्तियाँ गलत प्रतिनिधित्व द्वारा प्राप्त की गईं या संबंधित अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी करके हमें बस इतना कहना है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हम अपीलकर्ताओं को उनकी सेवाओं के नियमितीकरण की राहत का हकदार नहीं मानते हैं, जिसकी उन्होंने अपेक्षा की है। यह कहने के बाद कि हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अपीलकर्ताओं को उनके जीवन के इस चरण में रोजगार के किसी वैकल्पिक रास्ते के बिना छोड़ दिया जाएगा। अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त नियुक्तियों की कथित धोखाधड़ी प्रकृति के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा दर्ज किए जा सकने वाले किसी भी निष्कर्ष के अधीन, हम निर्देश देते हैं कि ऐसे अपीलकर्ताओं को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है, उन्हें एक

बार का समय दिया जा सकता है। शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा के नियमों में छूट देते हुए अधिकतम आयु सीमा में छूट की रियायत और अगली चयन प्रक्रिया में इस पर विचार किया जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त अपीलकर्ताओं को अगली चयन प्रक्रिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक बार की छूट होगी। अपीलकर्ता या उनमें से जो भी इस रियायत का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करना होगा कि यदि उन्हें दोषी पाया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो आयु में छूट के अनुसार उन्हें दी गई नई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। प्राप्त करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में फर्जी नियुक्ति इसके अलावा हम अपीलकर्ताओं को इस न्यायालय से किसी भी राहत का हकदार नहीं मानते हैं। अपीलें उपरोक्त निर्देशों के साथ निपटाई जाती हैं और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।